भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 299

गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उद्योग को सहायता

299. श्री सुशील कुमार गुप्ताः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में पर्यटन उ**द्यो**ग कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अब तक के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संकट से पर्यटन उ**द्यो**ग को बाहर निकालने में पर्यटन उ**द्यो**ग की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन लोगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है जो संगठित पर्यटन क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी हाँ, महोदय। यह एक वास्तविकता है कि भारत में पर्यटन उद्योग कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वर्तमान में अपने सबसे बुरे संकटों में से एक का सामना कर रहा है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने विभिन्न वित्तीय और गैर-राजकोषीय राहत उपायों की घोषणा की है, जिनसे असंगठित पर्यटन क्षेत्र में काम करने वालों सहित पर्यटन उद्योग को इस संकट से बाहर निकलने में मदद मिलने की उम्मीद है। उपायों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

****

अनुबंध

पर्यटन उद्योग को सहायता के संबंध में 03.02.2022 को उत्तर दिए गए राज्य सभा लिखित प्रश्न संख्या 299 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण।

पर्यटन उद्योग को संकट से बाहर निकलने में निम्नलिखित विभिन्न वित्तीय और गैर-राजकोषीय राहत उपाय हैं जिनसे मदद मिलने की उम्मीद है:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से एमएसएमई के लिए 3.00 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण में 4 साल की अवधि और 12 महीने का अधिस्थगन होगा।

ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनमें 90% कर्मचारियों की आय 15000 से कम है उन संगठनों के लिए भविष्य निधि अशंदान को तीन माह तक के लिए माफ कर दिया है।

iii. आत्मानिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के पीएफ योगदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iv. टीसीएस को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित दिया गया है।

v. 5.00 करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बाकी @ 9% दंडात्मक ब्याज बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइल करने का तीन महीने के लिए स्थगन किया गया ।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों में राहत दी गई ।

vii. आरबीआई ने टर्म लोन पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।

viii. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी गई। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ एसईआईएस को 2019-20 के लिए

जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त पर सहमति दी कि राशि व्यय बजट के माध्यम से एक नए लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदान की जाएगी। ।

ix. सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए 31.3.2021 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 की घोषणा की। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और मुक्त समय और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया था। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2022 तक या 4.5 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी किए जाने तक जो भी पहले हो, गारंटी तक बढ़ा दिया गया था। योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण नीचे दिया गया है:

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 30.09.2021 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	के तहत समर्थन	जारी गारंटियों की संख्या	योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋणों के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रुपये में)
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	2,732	1,371.62
आथित्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,160	5,430.96
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	218	3,403.90
पर्यटन, होटल और रेस्तरां	ईसीएलजीएस 1.0	96,219	3559.43
कुल		**1,02,329**	**13,765.91**

x. 28 जून 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और विकास एवं रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें विकास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन' और स्वास्थ्य और पुनर्जीवन यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' 'महामारी से आर्थिक राहत, शामिल हैं।

xi. 12 नवंबर 2020 को, सरकार ने कोविड-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xii. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली हेतु परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और इन सभी हितधारकों के बीच परिचालित किया गया हैं।

xiii. कोविड-19 के बाद के पुनुरूत्थान की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बी एंड बी/होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए और जारी कर दिए हैं ताकि व्यवसाय को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।

xiv. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हितधारकों को घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के लिए दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच बढ़ाने हेतु, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान हो सकें, संशोधित किया गया है । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xvi. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गई है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xvii. विदेशी प्रसार और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने हेतु, संशोधित किया गया है ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सकें।

xviii. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार निःशुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

xix. "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसस) के लिए ऋण गारंटी योजना" के तहत वित्तीय सहायता। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय

स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगे। टीटीएस प्रत्येक 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि पर्यटक गाइड प्रत्येक 1 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फौजदारी/पूर्व भुगतान शुल्क की छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा।

xx. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है।

****